न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :– प्रीति मीणा, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं0––85/2022

प्रविष्टि दिनांक––18.04.2022

भारत पुत्र प्रहलाद जाति बैरवा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक

बनाम

प्रार्थी

तहसीलदार निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक

– अप्रार्थीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री रमेश कुमार शर्मा –प्रार्थी
पेरोकार सरकार– तहसीलदार निवाई

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक 16/1/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि खसरा नं. 218 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं. 1248/11 रकबा 10 बीघा, खसरा नं. 1248/8 रकबा 3 बीघा, वाके ग्राम करेड़ा बुजूर्ग तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है। इस भूमि में प्रार्थी का हक .व हिस्सा जमाबन्दी अनुसार निहित है। जिसमें प्रार्थी का वास्तविक नाम भारत पुत्र प्रहलाद राजस्व रिकार्ड में एवं अन्य रिकार्ड में स्पष्ट साबित होने के बावजूद भी उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से त्रुटिवश अजय पुत्र प्रहलाद गलत रूप से अंकित हो गया है। जिसको राजस्व रिकार्ड में भारत पुत्र प्रहलाद दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड के अलावा सभी दस्तावेजों में भारत पुत्र प्रहलाद अंकित है जो सभी दस्तावेजों के अलावा खसरा नं. 1254/5 एवं खसरा नं. 1254/15 वाके ग्राम करेड़ा बुजूर्ग की जमाबन्दी से स्पष्ट साबित है। प्रार्थी का मुताबिक आधार कार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटरआईडी, एवं सभी दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम भारत पुत्र प्रहलाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है ताकि प्रार्थी को अनावश्यक असुविधा कारित ना हो।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल जमाबन्दी संवत 2070–2073 आदि की फोटो प्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट का सारांशतः इस प्रकार है कि ग्राम करेड़ा बुजूर्ग के खसरा नं. 218, 1248/11 व 1248/8 किता 3 रकबा 3.5031 है। प्रार्थी सह खातेदारी भूमि है। उपरोक्त आराजी खसरा नं. में प्रहलाद की मृत्यु होने से विरासत के नामान्तरण से अजय पुत्र प्रहलाद दर्ज हुआ है। मुताबिक राजस्व रिकोर्ड खसरा नं. 1254/5 व 1254/15 तथा सलंग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह, जनाधार, वोटरआईडी कार्ड एवं उपस्थित ग्राम वासियों से ली गई जानकारी के आधार पर अजय पुत्र प्रहलाद के बजाय भारत पुत्र प्रहलाद शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की वहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम अजय पुत्र प्रहलाद के बजाय भारत पुत्र प्रहलाद किये जाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार ने तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने व प्रार्थी का नाम अजय पुत्र प्रहलाद के बजाय भारत पुत्र प्रहलाद किये जाने की सहमति प्रदान की।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजियात में अजय पुत्र प्रहलाद गलत अंकित है। समस्त राजकीय दस्तावेजात में भी भारत पुत्र प्रहलाद अंकित है। तथा पेरोकार सरकार ने भी दौराने बहस प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की वढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब, बहस एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार निवाई/पेरोकार सरकार की रिपोर्ट/दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित प्रार्थी की कृषि आराजियात में प्रार्थी का नाम अजय पुत्र प्रहलाद के स्थान पर भारत पुत्र प्रहलाद राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 16/1/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)